<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री उत्तर प्रदेश अनुबन्धित बस ओनर एसोसिएशन, 6, समर विहार कालोनी, सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ।** |
| प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक | **048 / 14, 09.10.2014** |
| प्रार्थी की ओर से | **श्री मुक्तेश्वर मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।** |

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्राथी सर्वश्री उत्तर प्रदेश अनुबन्धित बस ओनर एसोसिएशन, 6, समर विहार कालोनी, सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 09.10.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह विनिश्चय किये जाने का अनुरोध गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-81 के अन्तर्गत repeal and saving के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-3एफ (1) के प्राविधानों के सुसंगत शासन द्वारा शासकीय विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-3736 / XI-9 (28) / 2000-UP ACT-15-48-Order (46)-2000, दिनांक 14.11.2000 जारी की गयी है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-81 (2) में वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विज्ञप्ति के शेड्यूल के क्रम संख्या-2 के द्वारा Transfer by bus owner to U.P.S.R.T.C. of the right to use of goods पर दी गयी करमुक्ति वर्तमान में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत भी उत्तर प्रदेश अनुबन्धित बस ओनर एसोसियेशन के सदस्यों पर लागू है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मुक्तेश्वर मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-81 (2) के अन्तर्गत व्यापार कर अधिनियम में जारी उक्त विज्ञप्ति रक्षित (Saved) है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत उक्त विज्ञप्ति दिनांक 14.11.2000 के प्राविधान करमुक्ति हेतु प्रभावी बताये गये।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2106, दिनांक 17.11.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि शासकीय विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-3736 / XI-9 (28) / 2000-UP ACT-15-48-Order (46)-2000, दिनांक 14.11.2000 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-81 के प्राविधानों से निम्न कारणों से रक्षित होना नहीं बताया गया है :-

1. विवादित शासकीय विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्राविधानों से consistent नहीं है।

2. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ‘‘ Transfer of right to use ’’ से सम्बन्धित करदेयता या करमुक्ति की अनुमन्यता शासकीय विज्ञप्ति के द्वारा ही सम्भव थी, जबकि उत्तर प्रदेश

मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में शासकीय विज्ञप्ति के द्वारा करदेयता के अवधारण या करमुक्त प्रदान किय जाने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है तथा ''Transfer of right to use'' को उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-3 में समाहित करते हुए इस पर 4% तथा अतिरिक्त कर की दर से करदेयता अवधारित कर दी गयी है जिसमें कोई अपवाद नहीं रखा गया। यह प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

'' All intangible goods like copyright, patent, rep. license etc; Transfer of right to use of goods "

इस प्रकार उपर्युक्त प्रविष्टि के द्वारा सभी प्रकार के '' Transfer of right to use '' के प्रकरणों पर अब उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत समान रूप से करदेयता का अवधारण कर दिया गया है जिसके चलते पूर्व प्रदत्त करमुक्ति की वस्तु स्थिति अब समाप्त हो गयी है। यह प्रविष्टि '' All '' शब्द से आरम्भ होती है तथा इसमें कोई अपवाद या किसी नोटिफिकेशन की शर्त का समावेश नहीं है। स्पष्ट रूप से उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-3736 / XI-9 (28) / 2000-UP ACT-15-48-Order (46)-2000, दिनांक 14.11.2000 जो विशिष्ट प्रकार के Transfer of right to use of goods के प्रकरणों को करमुक्ति प्रदान करती है, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-3 द्वारा Transfer of right to use of goods पर 4% तथा अतिरिक्त कर की दर से अवधारित करदेयता से inconsistent है। क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 की इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के प्रकरण में Transfer of right to use of goods के लिए कोई करमुक्ति दिये जाने के कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं। स्पष्ट रूप से उक्त inconsistency के कारण उपर्युक्त विज्ञप्ति दिनांक 14.11.2000 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-81 की उपधारा-2 के प्राविधानों से रक्षित नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा निष्पादित किये गये कार्य यथा U.P.S.R.T.C. से हुए अनुबन्ध के आधार पर प्राप्त धनराशियॉं Transfer of right to use of goods की परिधि में आता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित न्याय दृष्टान्तों का भी उल्लेख किया गया है :-

(i) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Commissioner of Trade Tax U.P. vs. Harmesh Kumar, Moradabad and others 2009 NTN (Vol. 40) 4; 46 STJ 86; 2009 VSTI B-545 (All. H.C.) decided on 07.04.2009

(ii) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Commissioner of Trade Tax U.P. vs. Sri Ram (2009) 20 VST 747 (All. H.C.)

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा The Commissioner of Trade Tax U.P. vs. Ashok Kumar Gupta, Moradabad and others 2009 NTN (Vol. 41) 107, 2009 VSTI B-930 (All. H.C.) decided on 23.07.2009

(iv) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Trade Tax Revision No. 963 of 2003 and

....3

Trade Tax Revision No. 1033 of 2003 The Commissioner Trade Tax versus S/s Kewal Kumar Lumba, Awas Vikas Colony, Chandausi

(v) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Sales / Trade Tax Revision No. 1226 of 2009 Sri V.K. Gupta (Deceased) Thru' His Wife Anshu Gupta Vs. Commissioner Commercial Tax, U.P. Lucknow Decided on 15.02.2011

(vi) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा S.T.R.P. No. 33 of 2009 Ali Singhania Bulk Carriers vs. State of Karnataka 2012 NTN (Vol. 50) 42

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में U.P.S.R.T.C. के अनुबन्धित बसों से प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल Transfer of right to use के अन्तर्गत करदेयता की परिधि में आता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ की आख्या के अनुरूप उत्तर प्रदेश अनुबन्धित बस ओनर एसोसियेशन के सदस्यों द्वारा U.P.S.R.T.C. से अनुबन्धित बसों को U.P.S.R.T.C. के निर्देशों के अनुसार चलाये जाने का कार्य निश्चित रूप से Transfer of right to use of goods के अन्तर्गत आता है तभी ऐसे मामलों में करमुक्ति प्रदान करने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-F की उपधारा-1 के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-3736 / XI-9 (28) / 2000-UP ACT-15-48-Order (46)-2000, दिनांक 14.11.2000 जारी करनी पड़ी थी। यदि यह मामले स्वत: ही Transfer of right to use of goods की परिधि के बाहर होते तो शासन को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता ही नहीं होती और उक्त विज्ञप्ति के आधार पर ही U.P.S.R.T.C. से अनुबन्धित बसों के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल पर Transfer of right to use of goods के अन्तर्गत करमुक्ति उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के दिनांक 31.12.2007 तक लागू रहने तक अनुमन्य होती रही।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि U.P.S.R.T.C. से अनुबन्धित करते हुए जो मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त होगा वह Transfer of right to use of goods के अन्तर्गत प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल की परिधि में आयेगा और उस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करदेयता आकृष्ट होगी तथा U.P.S.R.T.C. से अनुबन्धित बसों के सम्बन्ध में जो शासकीय विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-3736 / XI-9 (28) / 2000-UP ACT-15-48-Order (46)-2000, दिनांक 14.11.2000 द्वारा करमुक्ति प्रदान की गयी थी वह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-3 के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.11.2000 consistent नहीं रह जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री उत्तर प्रदेश अनुबन्धित बस ओनर एसोसिएशन, 6, समर विहार कालोनी, सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ

....4

व्यापारियों का एक संगठन है। इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रश्न के विनिश्चय हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्ह नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। प्रार्थी से सम्बन्धित प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में विधिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा एवं विवेचना करते हुए सर्वश्री नीरज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल गुप्ता, निवासी-3, कृष्णा भवन, निकट यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, दिल्ली रोड, मेरठ के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पत्र संख्या-वाद-मा0 उच्च न्या0 सन्दर्भ-2013-14-1903 / वाणिज्य कर, दिनांक 21.01.2014 से मेरे द्वारा पूर्व में स्थिति स्पष्ट करते हुए विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-3736 / XI-9 (28) / 2000-UP ACT-15-48-Order (46)-2000, दिनांक 14.11.2000 को रक्षित नहीं माना गया है, तथा उक्त प्रकार के संव्यवहार पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-A की प्रविष्टि संख्या-3 में समाहित करते हुए 4% तथा अतिरिक्त कर की दर से करदेयता अवधारित कर दी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री उत्तर प्रदेश अनुबन्धित बस ओनर एसोसिएशन, 6, समर विहार कालोनी, सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिर्निनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत किसी प्रश्न के विनिश्चय हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हेतु अर्ह नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6 प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 05 जनवरी, 2015 ह0 / 05.01.2015

**(मृत्युंजय कुमार नारायण)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।